

दिनांक 09.12.2022 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में अपरान्ह 12:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय बाराबंकी में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बाराबंकी की अध्यक्षता में की गयी।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

- | | | |
|-----|---|--|
| 1- | मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी। | |
| 2- | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी। | |
| 3- | प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य। | |
| 4- | जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी। | |
| 5- | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी। | |
| 6- | जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी। | |
| 7- | अधि०अभि०, वाटर रिसो०/सिचाई, बाराबंकी। | |
| 8- | श्री अनिल कुमार राव, | - सहा० अभि०, उ०प्र० जल निगम, बाराबंकी। |
| 9- | श्री पियूष शुक्ला | - सहा० अभि० (SWSM) बाराबंकी। |
| 10- | श्री अजय रंजन | - सहा० अभि० (SWSM) बाराबंकी। |
| 11- | श्री एस०एन०यादव | - जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० बाराबंकी समस्त टीम। |
| 12- | श्री अवनीश उपाध्याय | - सीनियर इन्जी०, अनुबन्धित फर्म मै० गायत्री-रेमकी (जेवी) |
| 13- | श्री विजय कटारिया | - प्रोजेक्ट मैनेजर पीएनसी-एसपीएमएल (जेवी) आगरा। |
| 14- | श्री राजा नरसिम्हा | - मै० मेघा इन्जी० एण्ड इफ्रस्ट्रक्चर्स लि० हैदराबाद। |
| 15- | श्री चिरन्जीत पात्रा | - मै० वीएसए इन्फ्रा० प्रो० लि० हैदराबाद। |

सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम, बाराबंकी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में मै० गायत्री-रेमकी (जेवी) हैदराबाद को जनपद बाराबंकी में भूगर्भ पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य एवं 10 वर्ष तक संचालन/अनुस्क्षण कार्य हेतु अनुबन्धित किया गया है जिसके अनुक्रम में फर्म द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा जनपद में फेज-3 के अन्तर्गत अन्य तीन एजेन्सियों (1. मै० पीएनसी, 2. मै० मेघा इन्जी०, 3. मै० वीएसए इन्फ्रा० प्रो० लि०) का चयन भूगर्भ पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु किया गया है।

1-जल जीवन मिशन फेज-2 -सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 "हर घर जल" के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में 98 ग्राम पंचायत/158 राजस्व ग्रामों को आच्छादित किये जाने हेतु मै० गायत्री-रेमकी (जेवी) हैदराबाद को डी०पी०आर० विरचन, निर्माण कार्य एवं अनुस्क्षण कार्य हेतु नामित किया गया है। जिसके लिये फर्म द्वारा 83 नग डी०पी०आर० बनाये जाने हैं जिसके सापेक्ष 80 नग डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं 03 नग डी०पी०आर० वेटिंग/करेक्शन में हैं। जिलाधिकारी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को एक सप्ताह में अवशेष डी०पी०आर० प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक एसएलएसएससी से 71 नग पाइप पेयजल योजनाए स्वीकृत हो चुकी हैं जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 36 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर ही कार्य कराया जा रहा है जिसकी प्रगति भी अत्यन्त ही धीमी है जिससे अनुबन्ध के अनुसार लक्षित समय में कार्य को पूर्ण किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा काफी असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि योजनाओं के कार्यों को गति प्रदान की जाये तथा जिन ग्राम पंचायतों में योजना के कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं उन स्थान पर यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाये। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा माह दिसम्बर 2022 तक गृहजल संयोजन के निर्धारित लक्ष्य 17748 के सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 5886 गृहजल संयोजन के कार्य कराये गये हैं जो अत्यन्त ही कम है। साथ ही साथ यह भी अवगत

कराया गया कि फर्म द्वारा मात्र नलकूप बोरिंग, वितरण प्रणाली बिछाने, पम्प हाउस तथा गृहजल संयोजन के कार्य ही कराये जा रहे हैं। शिरोपरि जलाशय एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्य फर्म द्वारा अभी तक शुरू नहीं कराये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय, द्वारा बैठक में उपस्थिति में गायत्री के सीनियर मैनेजर पर कार्यों की धीमी प्रगति पर काफी रोष व्यक्त करते हुये कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण कराने हेतु आवश्यक श्रमिकों एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हुये प्रतिदिन 300-350 गृहजल संयोजन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में यह आश्वासन दिया गया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक मैन पावर एवं सामग्री की व्यवस्था की जा रही है शीघ्र ही वांछित प्रगति प्राप्त कर ली जायेगी। सहायक अभियन्ता अवगत कराया गया कि दिनांक 07.12.2022 को प्रमुख सचिव नमामि गंगे उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यों की समीक्षा के दौरान फर्म गायत्री-रेमकी की प्रगति धीमी होने के कारण उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि फर्म को डिस्कोप किये जाने का प्रस्ताव राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रस्तुत किया जाये।

2-जल जीवन मिशन फेज-3 :-जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत अनुबन्धित फर्मों द्वारा जनपद बाराबंकी के शेष 961 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतवार 766 नग डी0पी0आर0 तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हैं जिसके सापेक्ष प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0 की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है।

क्र सं	फर्म का नाम	अंतिम राजस्व प्राप्ति	पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले डी0पी0 आर0	दिनांक 08.12.2022 तक प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0	अवशेष डी0पी0आर0	SLSSC द्वारा स्वीकृत
1	मै0 पी0एन0सी0-एसपीएमएल(जेडी)पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 पी0 एन0 सी0 टावर 3/22-डी, सिविल लइन, बार्डपास रोड, एन एस-2, आगरा (यू0पी0)	641	370	326	44	236
2	मै0 मेधा इन्जीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस-2 टेक्नोकॉन्ट इन्डिस्ट्रियल स्टेट, बालनगर, हैदराबाद-500037 (तेलंगाना)	579	309	307	2	152
3	मै0 वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0-एस0सी0एल0 इन्फ्राटेक लि0 (जेडी)मकान नं0-8-2-502/1/ए, प्रथम तल जीवी टावर, रोड नं0-7, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद (तेलंगाना)	224	87	72	15	49
	कुल योग-	1444	766	705	61	437

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि अवशेष डी0पी0आर0 एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। जिस फर्म के द्वारा लक्ष्य के अनुसार डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये जाने में शिथिलता की जायेगी उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

बैठक में उपस्थिति में मै0 पी0एन0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 06 स्थानों पर पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव दिलाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि नहर आदि को कास कर पाइप लाइन डाला जाना काफी कठिन है। नहर के पार वाले ग्रामों में यदि भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हो जाते हैं तो डी0पी0आर0 तैयार कर योजना निर्माण कार्य करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव किया जाना सम्भव नहीं है। नदी नाला एवं नहर आदि को कास करने हेतु सम्बन्धित सिचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नदी नाला/नहर के दोनों ओर सर्पोटिंग गार्ड लगाते हुये पाइप लाइन डाले जाने की कार्यवाही की जाये इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न की जाये।

शासन द्वारा जो योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं तथा धनार्पण प्राप्त हो चुका है सभी फर्मों द्वारा उन पर युद्ध स्तर पर सभी घटकों के कार्य प्रारम्भ कराते शासन की मंशानुसार लक्षित समय में ग्राम वासियों को नल जल से आच्छादित किये जाने हेतु कार्य योजना बनाते हुये कार्य कराया जाये। बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी को निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करते हुये निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये जिससे यह ज्ञात हो सके कि जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु जनपद में अनुबन्धित फर्मों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कितना कार्य किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश सं0 07/2022/430/छिहत्तर-1 2022-25सम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 के द्वारा प्रसारित निर्देश के अनुसार रु0 5.00 करोड़ तक लागत के डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की

प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जानी है तथा ₹5.00 करोड़ से अधिक लागत के वेटिंग उपरान्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर अनुमोदोपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है। दिनांक 01.12.2022 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी की अध्यक्षता में आहूत बैठक तक कुल 1294 राजस्व गांव हेतु 678 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत दिनांक 08.12.2022 को कार्यदायी एजेन्सी मेधा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस-2टेक्नोकॉन्ट इण्डिस्ट्रियल स्टेट, बालानगर, हैदराबाद द्वारा 15 नग (15 ग्राम पंचायत एवं 25 राजस्व ग्राम) के डी0पी0आर0 खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत सभी डी0पी0आर0 ₹5.00 करोड़ की लागत के अन्दर के हैं एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 11.08.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सत्तरहवीं बैठक के एजेन्डा बिन्दु सं0-01 के प्रस्तर-4 के बिन्दु-3 के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत ₹7000.00 के अन्तर्गत है पर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समिति के समक्ष प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सर्वसम्मति स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृत की गयी योजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम	यो0 की अनु0 लाग0 (₹0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत ₹0 में
1	2	3	4	5	6
जल जीवन मिशन फेज-3					
मै0 मेधा इन्जीनियरिंग इन्फ्रा प्रो0लि0 हैदराबाद					
1	बनीकोडर	डेमा	डेमा ग्रा0 पे0 योजना	399.04	4904
2	बनीकोडर	रामपुर	रामपुर ग्रा0 पे0 योजना	252.18	5575
3	दरियाबाद	बीरापुर	बीरापुर ग्रा0 पे0 योजना	228.74	6321
4	हैदरगढ़	मनगौवा	मनगौवा ग्रा0 पे0 योजना	226.54	6996
5	हैदरगढ़	दादपुर	दादपुर ग्रा0 पे0 योजना	209.30	5527
6	हैदरगढ़	सीति सिकन्दरपुर	सीति सिकन्दरपुर ग्रा0 पे0 योजना	301.64	6990
7	हैदरगढ़	कमेली	कमेली ग्रा0 पे0 योजना	475.65	5836
8	हैदरगढ़	कुडवा	कुडवा ग्रा0 पे0 योजना	367.40	6994
9	त्रिवेदीगंज	गनेहरी	गनेहरी ग्रा0 पे0 योजना	188.67	6344
10	हैदरगढ़	रेहुरा	रेहुरा ग्रा0 पे0 योजना	182.73	6954
11	पूरेडलई	नियामतपुर	नियामतपुर ग्रा0 पे0 योजना	317.10	6075
12	पूरेडलई	फत्तापुरकला	फत्तापुरकला ग्रा0 पे0 योजना	330.40	4459
13	पूरेडलई	रहिमापुर बजरंगसिंह	रहिमापुर बजरंगसिंह ग्रा0 पे0 योजना	277.05	4790
14	सिद्धौर	छत्तीनी	छत्तीनी ग्रा0 पे0 योजना	223.58	6761
15	सिद्धौर	इसरौलीसारी	इसरौलीसारी ग्रा0 पे0 योजना	205.68	6535

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी की दिनांक 09.12.2022 की हुई बैठक में 15 नग नवीन परियोजनाओं के निर्माण हेतु गठित डी0पी0आर0 पर अनुमोदन/स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी के माध्यम से अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विमूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को डी०पी०आर० अग्रसारित किये जाने से सम्बन्धित पत्र का आलेख भी प्रस्तुत करें।

अन्त में अधिशाली अभियन्ता जल निगम, द्वारा समस्त आगंतुको का बैठक में उपस्थित होने हेतु आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(अमित कुमार)

अधिशाली अभियन्ता जल निगम,
सदस्य सचिव, जि०पे० एवं स्व०मि०
बाराबंकी।

(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)

अधिशाली अभियन्ता, सिचाई
बाराबंकी

(सदस्य)

अधिशाली अभियन्ता ग्राउण्ड
वाटर अयोध्या

(सदस्य सचिव)

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र०
जल निगम, बाराबंकी

(उपाध्यक्ष)

मुख्य विकास अधिकारी,
बाराबंकी

(अध्यक्ष)

जिलाधिकारी
बाराबंकी